रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042021-226758
CG-DL-E-26042021-226758

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2021/वैशाख 6, 1943
No. 232] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2021/VAISAKHA 6, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2021

सं. 25/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 290(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)', जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3904 61 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी अधिसूचना संख्या 15/11/2016-डीजीएडी, दिनांक 23 जून 2017, जिसे 23 जून 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड- I में प्रकाशित किया गया था, में दिए गए अपने अंतिम निष्कर्षों में चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' पर प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जुलाई 2017, जिसे

सा.का.नि 966 (अ), दिनांक 28 जुलाई 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा प्रतिपाटन शुल्क लगाया था।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने, अधिसूचना सं. 07/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 19 जून 2020, जिसे दिनांक 19 जून 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क के परिवंचन के मामले में यह विनिश्चय करने के लिए जांच कार्य शुरू किया गया था कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जुलाई 2017, जिसे सा.का.नि 966 (अ) दिनांक 28 जुलाई 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयात पर लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई) उत्पाद' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925 और 3926 के अंतर्गत आते हैं, पर भी लगाये जाने की आवश्यकता है या नहीं।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 07/22/2020-डीजीटीआर, दिनांक 27 जनवरी 2021, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड- I में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु के व्यापार के प्रतिमान में परिवर्तन आया है;

(ii) 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' को विषयगत वस्तुओं के रूप में परिवर्तत करने में जो मूल संवर्धन होता है वह सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण), नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे प्रतिपाटन नियमावली से संदर्भित कया गया है) में निर्धारित थ्रैशहोल्ड सीमा से बहुत कम है;

(iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का यहां आयात बहुत ही सस्ते मूल्य पर हो रहा है;

(iv) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का होने वाले आयात से चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' के आयत पर लगे वर्तमान प्रतिपाटन उपायों का प्रभाव कम होता जा रहा है;

और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादत या वहां से निर्यातित 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 28 जुलाई 2017 जिसे सा.का.नि 966(अ), दिनांक 28 जुलाई 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाये गए वर्तमान प्रतिपाटन शुल्क को विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर भी लगाये जाने की सिफारिश की है।

अत: अब प्रतिपाटन नियमावली के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1), (1क) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जिनकी विशेषता कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, जोकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है जो कालम (2) के तत्संबंधी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से मूलतः उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कालम (11) विनिदिष्ट मुद्रा में और कालम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तु का विवरण	विशेषता	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' उत्पाद *	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	2637	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' उत्पाद *	कोई भी	चीन जनवादी गणराज्य	रूस या चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	2637	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923,	'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' उत्पाद *	कोई भी	रूस या चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	2637	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

	3924, 3925, 3926									

*इसमें शामिल हैं पीटीएफई उत्पाद या प्रसंस्कृत पीटीएफई घटक जिसमें बुश, रॉड, शीट, टेप, ट्यूब और थ्रेड सील टेप आदि आते हैं।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और यह तब तक लागू रहेगा जब तक 'पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफई)' पर उपयुक्त अधिसूचना सं 36/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जुलाई, 2017, जिसे सा.का.नि 966 (अ), दिनांक 28 जुलाई 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, द्वारा लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क जारी रहेगा (यदि इसके पहले वापस नहीं लिया जाता है, इसका अतिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख, वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. 354/113/2020-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2021

No. 25/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 290(E).—Whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)' falling under the tariff item 3904 61 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR, the designated authority, *vide* its final findings in notification No. 15/11/2016-DGAD, dated the 23rd June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd June, 2017, had recommended imposition of the anti-dumping duty on Polytetrafluoroethylene or PTFE, originating in or exported from China PR.

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)', originating in or exported from China PR, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.36/2017-Customs (ADD), dated the 28th July, 2017, published *vide* number G.S.R. 966(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 28th July, 2017.

And whereas, the designated authority, *vide* notification No.07/22/2020-DGTR, dated the 19th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 19th June, 2020, in the matter of circumvention of the anti-dumping duty imposed on imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)' originating in or exported from China PR, had initiated an investigation to determine the need for extending the anti-dumping duty imposed on imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)', originating in or exported from China PR, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2017-Customs (ADD), dated the 28th July, 2017, published *vide* number G.S.R. 966(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 28th July, 2017, to the imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE) Products' (hereinafter referred to as the 'subject goods') falling under the tariff headings 3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925 and 3926 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) into India.

And whereas, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No.07/22/2020-DGTR, dated the 27th January, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

(i) there has been a change in pattern of trade in case of subject goods from the subject country;

(ii) the value addition in converting Polytetrafluoroethylene (PTFE) to subject goods is significantly less than that the prescribed threshold in the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Anti-dumping Rules);

(iii) imports of subject goods from the subject country are entering at dumped prices;

(iv) the import of subject goods from the subject country has undermined the remedial effect of existing anti-dumping measure on the imports of Polytetrafluoroethylene (PTFE) originating in or exported from China PR,

and has recommended imposition of the existing anti-dumping duty imposed on the imports of 'Polytetrafluoroethylene (PTFE)', originating in or exported from China PR, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2017-Customs (ADD), dated the 28th July, 2017, published *vide* number G.S.R. 966(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 28th July, 2017, on the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (1A) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rule 27 of the Anti-dumping Rules, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act, specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers specified in the corresponding entry in column (7), exported by the exporters specified in the corresponding entry in column (8) and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount specified in the corresponding entry in column (9), in the currency specified in the corresponding entry in column (11) and as per unit of measurement specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Tariff heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	Polytetrafluoroethylene (PTFE) Products *	Any	China PR	China PR	Any	Any	2637	MT	US Dollar
2.	3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	Polytetrafluoroethylene (PTFE) Products *	Any	China PR	Any other than Russia or China PR	Any	Any	2637	MT	US Dollar
3.	3904, 3907, 3910, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926	Polytetrafluoroethylene (PTFE) Products *	Any	Any other than Russia or China PR	China PR	Any	Any	2637	MT	US Dollar

* includes PTFE Products or Processed PTFE Components, including and not limited to bush, rod, sheet, tape, tube and thread seal tape.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective from the date of publication of this notification in the Official Gazette and will be co-terminus with the anti-dumping duty on Polytetrafluoroethylene (PTFE) as levied *vide* aforesaid notification No. 36/2017-Customs (ADD), dated the 28th July, 2017, published *vide*

number G.S.R. 966(E), dated the 28th July, 2017 (unless revoked, superseded or amended earlier), and the anti-dumping duty shall be paid in Indian currency.

***Explanation*.**- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/113/2020-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.04.26 20:24:04 +05'30'